<u>न्यायालय-दिलीपसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.क्रमांक—823 / 2014</u> <u>संस्थित दिनांक—12.09.2014</u> फाईलिंग क्र.234503006312014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// <u>विरुद्ध</u> //

सावनलाल मड़ावी पिता जयपाल मड़ावी, उम्र–40 वर्ष, निवासी–ग्राम उमरिया, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) – – –

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-11/04/2017 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्त सावनलाल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—09.07.2014 को 5:00 बजे, प्रार्थी के घर के आंगन में थाना अंतर्गत रूपझर में लोकस्थान पर फरियादी गणेश भलावी को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, सह अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को हाथ—मुक्कें से मारकर स्वेच्छ्या उपहित कारित कर, फरियादी को उपहित कारित कर, फरियादी को उपहित कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छ्या उपहित कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त पवन एवं सावनलाल को राजीनामा के आधार पर दिनांक—08.01.2015 के आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त सावनलाल पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी गणेश भलावी ने दिनांक—11.07.2014 को थाना रूपझर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि वह ग्राम उमरिया रहता है और कृषि—मजदूरी का कार्य करता है। दिनांक—09.07. 2014 को 5:00 बजे फरियादी अपने घर के पास खड़ा था, उसी समय सावनलाल कुल्हाड़ी लेकर आया और बोला कि वह अपने बच्चों का जाति प्रमाणपत्र बनवा

कर ले आया है, तो फरियादी ने कहा कि हाँ बनवा लिया है, तब अभियुक्त ने कहा कि बड़ा आदमी है, इसलिए बनवा लिया है। फरियादी ने अभियुक्त सावनलाल से कहा कि वह बच्चा पैदा करना जानता है, बच्चों के लिए प्रमाणपत्र नहीं बनवा सकता। इसी बात को लेकर सावनलाल, फरियादी गणेश भलावी को माँ—बहन को चोदू की गंदी—गंदी अश्लील गालियां देने लगा। फरियादी ने सावनलाल को गालियां देने से मना किया। सावनलाल ने कुल्हाड़ी फरियादी के सिर पर मारी, जिसे बांए हाथ से फरियादी ने रोकी तो कुल्हाड़ी का किनारा फरियादी के सिर पर लगा एवं कुल्हाड़ी का बेसा बांए हाथ की भुजा में लगा। फरियादी को सिर पर चोट लगने से खून निकलने लगा। मारपीट की आवाज सुनकर फरियादी की पत्नी परमिलाबाई आई उसने बीच—बचाव किया। उसके बाद अभियुक्त एवं उसका भाई मारपीट करने की धमकी देकर चले गए। पुलिस थाना रूपझर ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध कमांक—82/2014 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

- 4— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 5— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:—

1. क्या अभियुक्त सावनलाल ने घटना दिनांक—09.07.2014 को समय 5:00 बजे, प्रार्थी के घर के आंगन में थाना रूपझर अंतर्गत फरियादी गणेश भलावी को उपहति कारित करने के आशय से कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

7— गणेश अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि घटना न्यायालयीन कथन से 4—6 माह पूर्व की है। घटना के समय उसका अभियुक्तगण से मौखिक विवाद हो गया था, इस कारण साक्षी ने थाना रूपझर में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट की थी, जो प्रदर्श पी—1 है। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी—2 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को

पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को आहत गणेश भलावी के साथ मारपीट कर उपहित कारित की। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वतः में बताया है कि पुलिस के कहने पर उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

- 8— रमेश अ.सा.2 का कथन है कि उसे गणेश भलावी ने बताया था कि अभियुक्तगण के साथ उसका झगड़ा हुआ है। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। रमेश अ.सा.2 की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।
- 9— गणेश अ.सा.1 ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है। संभवतः राजीनामा करने के कारण गणेश ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त सावनलाल के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गणेश भलावी को उपहित कारित करने के आशय से फरियादी को कुल्हाड़ी से मारकर फरियादी को स्वेच्छया उपहित कारित की थी। अतः अभियुक्त सावनलाल मड़ावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 11— प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा—437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक कुल्हाड़ी मय बेसा के मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट